भाग 'ख'

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अध्याय-3
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

अध्याय-3

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 सामान्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में राज्य सरकार की कंपनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। राज्य पीएसयू लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के तहत तीन सांविधिक निगमों[1] सहित 33 सार्वजनिक उपक्रम थे (विद्युत क्षेत्र में 6 और गैर विद्युत क्षेत्र में 27)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, 24 सक्रिय और नौ निष्क्रिय थे (विद्युत क्षेत्र में चार और गैर विद्युत क्षेत्र में पांच)। एक पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को (जुलाई 1998 में) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। बैंक की कुल प्रदत इक्विटी में से, 59.23 प्रतिशत राज्य सरकार के पास है और शेष 40.77 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशकों, निवासी व्यक्तियों और अन्य[2] लोगों के पास है। वर्ष 2017-18 के दौरान, कोई भी पीएसयू निगमित/ बंद नहीं किया गया।

दो विद्युत उत्पादन कंपनियां नामत: जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) थी। सीवीपीपीपी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनएचपीसी) और पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (पीटीसी) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में ₹1,051.44 करोड़ (जेकेएसपीडीसी: ₹465 करोड़, एनएचपीसी: ₹582.36 करोड़ और पीटीसी: ₹4.08 करोड़) का निवेश किया गया है। मार्च 2018 तक सीवीपीपीपी का कार्यान्वयन चल रहा है।

राज्य सरकार की ओर से व्यापारिक गतिविधियों को करने के लिए एक विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी, दो विद्युत वितरण कपनियां और एक विद्युत व्यापार कंपनी निगमित है। हालाँकि कंपनियों को मार्च 2013 और जून 2013 के बीच निगमित

---

1 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन

2 इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेन्स कंपनियां, अप्रवासी भारतीय और कॉर्पोरेट निकाय

किया गया है, फिर भी मार्च 2018 तक इन कंपनियों ने अपना परिचालन शुरू नहीं किया है। इन कंपनियों के वाणिज्यिक परिचालन के अभाव में, अभी भी विद्युत विकास विभाग द्वारा विद्युत पारेषण और वितरण गतिविधियाँ की जाती हैं।

30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर पीएसयू के वित्तीय निष्पादन को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। 24 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने, अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 30 सितंबर 2018 तक ₹8,571.68 करोड़ का वार्षिक कारोबार पंजीकृत किया और ₹198.15 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया। यह कारोबार 2017-18 के लिए ₹1,40,887 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 6.08 प्रतिशत के बराबर था। मार्च 2018 के अंत तक उनके पास 23,985 कर्मचारी थे।

नौ निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम, जो पिछले 4 से 28 वर्षों से परिचालित नहीं हैं, में ₹56.60 करोड़ का निवेश है जो शेयर पूंजी (₹55.77 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के रूप में है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन साल में कोई निवेश नहीं किया है।

3.1.2 जवाबदेही रूपरेखा

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी से आश्य एक किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, और वह कंपनी जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के तहत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अंदर सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा पहला लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाएगा और यदि सीएजी उक्त अवधि के अंदर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो

कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों के द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के तहत कवर की गई किसी भी कंपनी के मामले में, सीएजी द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जा सकती है और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान इस प्रकार की नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तो ये सभी सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन हैं। 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में यथा परिभाषित) के वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं, जिन्हें अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत अन्य कार्यों के अलावा कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के लिए सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

3.1.4 सरकार और विधानमण्डल की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग की भी निगरानी करते हैं। इसके लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ राज्य सरकार की कंपनियों और सांविधिक निगमों के मामले में सीएजी के अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष अधिनियम 2013 की धारा 394 या जैसे कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित है, के तहत रखी जाएगी। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1.5 राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योगदान का प्रभाव

जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) के द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश की उचित दर का निर्धारण करने के लिए, अर्थात इक्विटी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी पर रिटर्न और सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण कारोबार का अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात आदि पर टिप्पणी करके कंपनियों की वित्तीय क्षमता का निर्धारण करने के लिए, अर्थात राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रभाव और योगदान के विषय में निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (छः[3]) और विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (27[4]) को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

---

[3] दो कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) और चार निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: (1) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और (4) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

[4] 24 सरकारी कंपनियां और तीन सांविधिक निगम अर्थातः. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन

तालिका-3.1: जम्मू-कश्मीर के जीएसडीपी के प्रति राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कारोबार के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों[5] का कारोबार	1,220.62	1,220.62	1,119.90	1,119.90	992.46
अंतिम रूप दिए गए नवीनतम खातों के अनुसार गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का कारोबार	7,048.17	7,449.34	7,296.59	7,238.03	7,579.22
मौजूदा कीमतों पर जम्मू और कश्मीर की जीएसडीपी	95,619	98,370	1,17,187	1,26,847	1,40,887
जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार का प्रतिशत	1.28	1.24	0.96	0.88	0.70
जम्मू-कश्मीर की जीएसडीपी के प्रति, गैर-विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार का प्रतिशत	7.37	7.57	6.23	5.71	5.38

(स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त सूचना के अनुसार और जम्मू व कश्मीर सरकार, के वित्त विभाग द्वारा दी गई जीएसडीपी के कारोबार के आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है।)

3.1.6 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विद्युत के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, किसी भी प्रकार का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण नहीं किया गया।

3.1.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2018 तक, 33 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में, इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका-3.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश					
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल	
		जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य
विद्युत क्षेत्र में पीएसयू	6*	5.20	1051.44	0	2045.88	5.20	3097.32
विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य पीएसयू ^							
सामाजिक क्षेत्र में पीएसयू	12	89.59	34.58	1098.05	91.86	1187.64	126.44

[5] कारोबार केवल जेकेएसपीडीसी से संबंधित है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के छह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: (1) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड निष्क्रिय है और सीवीपीपीपी में, जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश					
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल	
		जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य	जीओजेके	अन्य
प्रतिस्पर्धी वातावरण में पीएसयू	11	486.66	111.24	1185.06	1665.92	1671.72	1777.16
अन्य	4	56.58	0.00	0.00	0.00	56.58	0.00
कुल	**33**	**638.03**	**1197.26**	**2283.11**	**3803.66**	**2921.14**	**5000.92**

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

* छह विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में से, सिर्फ दो अर्थात जेकेएसपीडीसी और सीवीपीपीपी सक्रीय हैं। जीओजेके ने सीवीपीपीपी में कोई निवेश नहीं किया है।

^ इसका विवरण ***परिशिष्ट 3.1.1*** में दिया है।

31 मार्च 2018 तक, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इक्विटी के ₹1,056.64 करोड़ के कुल निवेश में से, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा केवल ₹5.20 करोड़ (0.49 प्रतिशत) का योगदान किया गया था। जेकेएसपीडीसी द्वारा ₹2,045.88 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे।

राज्य सरकार ने, 2013-14 तक के अंतिम रूप दिए गए खातों के अनुसार पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधि के रूप में दिए।

तालिका-3.3: जेकेएसपीडीसी में योजना निधियों की स्थिति

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अवधि जहां तक लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	2010-11	2010-11	2011-12	2011-12	2013-14
निवेशित योजना निधि (₹ करोड़ में)	3,857.15	3,857.15	5,346.91	5,346.91	5,753.83

हालांकि, निदेशक मंडल ने इस राशि के प्रति शेयर जारी करने का (मार्च 2013 में) निर्णय लिया, पर कंपनी ने अभी तक शेयर जारी नहीं किए। राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को (दिसंबर 2018 में) निर्देश दिया कि कंपनी से राज्य सरकार द्वारा ₹3,668.81 करोड़ की विद्युत खरीद की देयताएँ समायोजित करें और ₹2,588.34 करोड़[6] की इक्विटी राज्य सरकार को जारी की जाए।

संपत्तियों के लिए प्राप्त निधियों के प्रति, राज्य सरकार के बकाया विद्युत बिल का समायोजन, अनियमित और लेजिस्लेटिव विल का उल्लंघन था, क्योंकि सरकार ने निधियों को पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किया था। इसके अलावा, कंपनी के लेखे भी निधियों को पूंजीगत रिजर्वों के रूप में दिखा रहे थे। यद्यपि

[6] इस राशि में, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की लागत भी शामिल है जो टोकन मूल्य पर कंपनी के निगमन के समय ₹916.54 करोड़ और ₹22 करोड़ थी

कंपनी ने सरकार के आदेशों के अनुपालन में अभी तक (नवंबर 2019) शेयर जारी नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, शेयर पूंजी का उक्त सीमा तक कम विवरण हुआ।

31 मार्च 2018 तक, इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹4,819.54 करोड़ था । इक्विटी के लिए, 16.16 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण में 83.84 प्रतिशत का निवेश निहित था। कुल दीर्घकालिक ऋणों (₹4,040.89 करोड़) में, 56.50 प्रतिशत (₹2,283.11 करोड़) राज्य सरकार द्वारा निहित किया गया जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 43.50 प्रतिशत (₹1,757.78 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था।

3.1.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में जैसे कि इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, माफ किए गए ऋण और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बजट के माध्यम से, जेकेएसपीडीसी को वर्ष 2017-18 में ₹135 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में, राज्य सरकार से कोई भी बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार, पीएसयू को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता लेने के लिए गारंटी प्रदान करती है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा और गारंटी कमीशन/ शुल्क को निर्धारित करने के लिए गारंटी अधिनियम नहीं बनाया है। हालाँकि, एफआरबीएम अधिनियम, 2006 उस सीमा को निर्धारित करता है, जिसके अंदर राज्य सरकार, राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर गारंटी दे सकती है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य सरकार की ओर से जारी गारंटी से मिलने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी रिडेम्पशन फण्ड का भी गठन (अगस्त 2006 में) किया। वर्ष 2015-16 में, ₹2,499.64 करोड़ से वर्ष 2017-18 में, ₹2,045.88 करोड़ बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में 18.15 प्रतिशत की कमी हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा कोई गारंटी शुल्क नहीं दिया गया था।

(बी) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, माफ किए गए ऋण और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय व्यय के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं:

तालिका-3.4: वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान राज्य के पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लिए बजटीय सहायता के संबंध में ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण[7]	2015-16		2016-17		2017-18	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	इक्विटी पूंजी आउटगो	2	6.85	3	9.56[8]	4	23.20[9]
2.	ऋण दिए गए	10	69.19	8	54.77	8	50.82
3.	अनुदान/ सब्सिडी प्रदान किए गए	8	66.44	9	133.30	7	126.85
	कुल आउटगो (1+2+3)	**13[10]**	**142.48**	**13**	**197.63**	**12**	**200.87**
4.	माफ किए गए पुनर्भुगतान ऋण	-	-	-	-	-	-
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	1	72.88
6.	जारी की गई गारंटियाँ	1	2.00	1	2.00	1	8.00
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	3	47.33	3	60.60	2	98.28

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान वार्षिक बजटीय सहायता ₹142.48 करोड़ और ₹200.87 करोड़ के बीच रही थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, दिए गए ₹200.87 करोड़ की बजटीय सहायता में, ₹50.82 करोड़, ऋण के रूप में, ₹126.85 करोड़ अनुदान/

---

7 राशि केवल राज्य बजट आउटगो को वर्णित करती है

8 राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹250 करोड़ का निवेश किया जिसके प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 3.66 करोड़ शेयर (₹1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹67 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूंजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है

9 राज्य सरकार ने, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड में ₹282 करोड़ का निवेश किया जिसके लिए वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 3.55 करोड़ शेयर (₹ 1 प्रति शेयर के अंकित मूल्य के संबंध में ₹78 प्रति शेयर के प्रीमियम पर) जारी किए। शेयर पूंजी में की गई वृद्धि को इसके अनुसार परिलक्षित किया गया है

10 यह आंकड़ा उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है जो एक या अधिक शीर्षों अर्थात् इक्विटी,ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के तहत बजट से आउटगो प्राप्त कर चुके हैं

सब्सिडी के रूप में और ₹23.20 करोड़ इक्विटी सहायता के रूप में हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/ अनुदान मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और औद्योगिक संपदा के उन्नयन के लिए प्रदान की गई थी, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम (एससी/ एसटी/ ओबीसी) को अपने वेतन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए अनुदान भी शामिल थे।

बकाया गारंटी प्रतिबद्धता जो वर्ष 2015-16 में ₹47.33 करोड़ थी, वह वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹98.28 करोड़ हो गई, इस तरह कुल 107.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान, विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू द्वारा किसी भी गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

3.1.9 जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के संबंध में दिए गए आकड़ों का मिलान जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शित आकड़ों के साथ होना चाहिए। यदि आकड़ों का मिलान नहीं होता, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को मिलकर अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक वित्त लेखाओं में दर्शाए गए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के बीच के अंतर को नीचे दिया गया है:

तालिका-3.5: पीएसयू के रिकॉर्ड की तुलना में, वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और ऋण बकाया

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि		पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि		अंतर	
	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र[11]	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा
शेयर पूंजी	7.45	592.38	5.00	577.26	(-)2.45	(-)15.12
बकाया ऋण	85.05	768.14	0.00	2,282.28	(-)85.05	1,514.14
गारंटी	2,045.88	98.28	2,045.88	98.28	शून्य	शून्य

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के अलावा 22 राज्य पीएसयू[12] में से, 17 पीएसयू के संबंध में पाए गए अंतर को ***परिशिष्ट-3.1.2*** में दिखाया गया है। आंकड़ों के

[11] केवल जेकेएसपीडीसी के संबंध में ही अंतर था

[12] पांच निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमों अर्थात् (1) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, (2) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, (3) तवी स्कूटर्स लिमिटेड, (4) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड के संबंध में डेटा पर विचार नहीं किया गया है

बीच अंतर पिछले कई वर्षों से जारी हैं। अंतरों के मिलान के मुद्दे भी समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभागों को बताये गए थे। जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड में ऋण बकाया के संबंध में और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में इक्विटी के संबंध में राशि शेषों में बड़ा अंतर देखा गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।

3.1.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

24 कार्यशील पीएसयू थे और इन सभी कार्यशील पीएसयू द्वारा वर्ष 2017-18 के लेखाओं को 30 सितंबर 2018 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

तालिका-3.6: पीएसयू के लेखाओं की स्थिति

पीएसयू का स्वरूप	कुल संख्या	पीएसयू की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि[13] के दौरान प्राप्त हुए हैं				30 सितंबर 2018 तक पीएसयू की संख्या जिनके लेखे शेष हैं (शेष में कुल लेखे)
		2017-18 तक लेखे	2016-17 तक लेखे	2015-16 तक लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कंपनियाँ[14]	21[15]	3	1	-	4	17 (158)
सांविधिक निगम	3[16]	-	1	-	1	2(5)
कुल कार्यरत पीएसयू	**24**	**3**	**2**	**-**	**5**	**19 (163)**
निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	9[17]	-	-	-	-	3 (72)
कुल	**33**	**3**	**2**	**-**	**5**	**22 (235)**

13 अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018 तक

14 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) में संदर्भित अन्य कंपनियां शामिल हैं

15 जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड हालांकि कार्यात्मक है, परन्तु लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसने स्थापना (मार्च 2014) के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया है

16 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने अपनी स्थापना (जुलाई 1979) के समय से कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया

17 छः कंपनियों **नामत:** (1) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (3) जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (4) कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (5) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (6) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में लेखाओं के बकायों पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने स्थापना के बाद से अपने लेखाओं को कभी प्रस्तुत नहीं किया है

24 पीएसयू में से, तीन सरकारी कंपनियों[18] ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखे 30 सितंबर 2018 या उससे पहले सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए और 19 सरकारी कंपनियों के लेखे शेष थे। दो पीएसयू (जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल स्प्लाइज़ कॉरपोरेशन लिमिटिड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन) ने स्थापना के समय से ही अपने लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया

प्रशासनिक विभागों के पास इन उपक्रमों की गतिविधियों की देखरेख करने और यह भी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी है कि इन पीएसयू द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है और अपनाया गया है। शेष लेखाओं को अंतिम रूप देने के ब्यौरे ***परिशिष्ट-3.1.3 (ए)*** में दिए गये हैं:

जम्मू और कश्मीर सरकार ने ₹657.16 करोड़ (ऋण: ₹636.21 करोड़, सब्सिडी: ₹20.95 करोड़) 19 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 11 के लिए प्रदान किए थे; जिन के लेखाओं को 30 सितंबर 2018 तक भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था और 8 पीएसयू जिस अवधि तक उनके लेखे बकाया थे, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इनमें कोई भी निवेश नहीं किया था।

सितंबर 2018 तक जिन लेखाओं में बकाया था, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के पीएसयू-वार ब्यौरे ***परिशिष्ट-3.1.3 (बी)*** में दिए गए हैं।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण न केवल संबंधित संविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, अपितु धोखाधड़ी और सार्वजनिक निधि के लीकेज का जोखिम भी होता है। उक्त शेष लेखाओं की स्थिति के मद्देनजर, वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और राज्य के खजाने में उनके योगदान के विषय में राज्य विधानमंडल को भी नहीं बताया जा सका।

यह सिफारिश की जाती है कि वित्त और संबन्धित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि (i) राज्य पीएसयू लेखाओं में बकायों के परिसमापन के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें (ii) जिन पीएसयू के लेखे बकाया हैं, उन्हें बजटीय सहायता न दी जाए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को तैयार करने में बाधाओं का पता लगा सकती है और लेखाओं में बकायों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

[18] सीवीपीपीपी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सेर्विसेज लिमिटेड

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का स्थापन

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। तीन कार्यशील सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने, 2017-18 के लेखे 30 सितंबर 2018 तक प्रेषित नहीं किए थे।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की स्थिति और विधानमंडल में उनके एसएआर के स्थापन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-3.7: सांविधिक निगमों के एसएआर के स्थापन की स्थिति

निगम का नाम	लेखाओं का वर्ष	एसएआर का स्थापन माह
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन	2016-17	फरवरी 2018
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन	2013-14	फरवरी 2018
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन	-	स्थापना वर्ष 1996-1997 से ही निगम द्वारा अपने लेखे जमा नहीं किए गए

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर संकलित।)

3.1.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षित हैं। 30 सितंबर 2018 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, छह विद्युत क्षेत्र कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम के ब्यौरे ***परिशिष्ट-3.1.4*** में दिए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में निवेश की राशि ₹2,883.13 करोड़[19] थी जिसमें इक्विटी के रूप में ₹1,056.64 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹1,826.49 करोड़ थे। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केवल पांच[20] विद्युत क्षेत्र पीएसयू में ₹5.20 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी का निवेश किया है।

[19] अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सूचना से भिन्न हो सकती है

[20] चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर, जिसे जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से कोई योगदान नहीं मिला

कार्यशील विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में से, सिर्फ जेकेएसपीडीसी ही लाभ अर्जित कर रही थी और पिछले पाँच वर्षों के दौरान, अंतिम रूप दिए गए चार लेखाओं के संबंध में इसका लाभांश ₹433.41 करोड़ और ₹668.95 करोड़ के बीच रहा था।

2015-16 से 2017-18 के दौरान, जेकेएसपीडीसी द्वारा किए गए उत्पादन/ आपूर्तियों की तुलना में, जेएंडके राज्य द्वारा किए गए विद्युत खरीद की स्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया हैः

तालिका-3.8: जेकेएसपीडीसी द्वारा उत्पादन/ आपूर्तियों की तुलना में खरीदी गई विद्युत

(ऊर्जा एमयू में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	जेएंडके राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत	14,612.12	15,426.00	16,224.30
2	जेकेएसपीडीसी से प्राप्त कुल विद्युत	2,660.55	3,830.95	3,922.33
3	**राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत में से, जेकेएसपीडीसी से खरीदी गई विद्युत की स्थिति की प्रतिशतता (प्रतिशत में)**	**18.21**	**24.83**	**24.18**
4	जेकेएसपीडीसी द्वारा उत्पादित कुल विद्युत	4,178.11	4,966.01	5,274.33
5	**जेकेएसपीडीसी द्वारा उत्पादित विद्युत में से, राज्य सरकार को बेची गई विद्युत की प्रतिशतता (प्रतिशत में)**	**63.68**	**77.14**	**74.37**

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि, हालांकि जेकेएसपीडीसी अधिकतम उत्पादित (64 प्रतिशत से 77 प्रतिशत के बीच) विद्युत राज्य सरकार को बेचता है, जिससे राज्य की आवश्यकता की केवल 18 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ही पूर्ति हो पाती है। जेकेएसपीडीसी, 450 मेगावाट बगलिहार-I संयंत्र से उत्पादित विद्युत को छोड़कर, अपने अन्य विद्युत संयंत्रों से विद्युत की संपूर्ण मात्रा राज्य सरकार को बेचता है। बगलिहार-I विद्युत संयंत्र की विद्युत का कुछ भाग, अन्य राज्यों की उपयोगिता हेतु पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (पीटीसी) द्वारा, बेचा जाता है। जेकेएसपीडीसी द्वारा विद्युत के विक्रय के प्रबंधन को विद्युत खरीद अनुबंधों (पीपीए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो जेकेएसपीडीसी और संबंधित खरीददारों के बीच में हुए हैं। यह व्यवस्था, परिचालन व रखरखाव के व्यय की पूर्ति के साथ-साथ, ऋण सेवा दायित्वों की पूर्ति के लिए है जो परियोजनाओं के निर्माण हेतु लिए गए थे।

पीटीसी के माध्यम से, विद्युत बिक्री की दर उच्चतम स्तर पर ₹3.60 (अल्पकालिक पीपीए) और ₹3.65 (दीर्घकालिक पीपीए) प्रति इकाई है, इसकी तुलना में, जेकेपीडीडी को ₹1.85 से ₹2.25 प्रति इकाई की दर से बेची जाती है।

(बी) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

30 सितंबर, 2018 तक अपने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार 27 राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों के ब्यौरे ***परिशिष्ट-3.1.5*** में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के अलावा उपक्रमों में कुल निवेश ₹4,219.64 करोड़ था जिसमें ₹590.33 करोड़ की इक्विटी और ₹3,629.31 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। इसमें से, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने 26 पीएसयू[21] में ₹496.92 करोड़ की इक्विटी और ₹1,692.19 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण से ₹2,189.11 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के निवेश की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार हैं:

चार्ट-3.1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार का कुल निवेश।

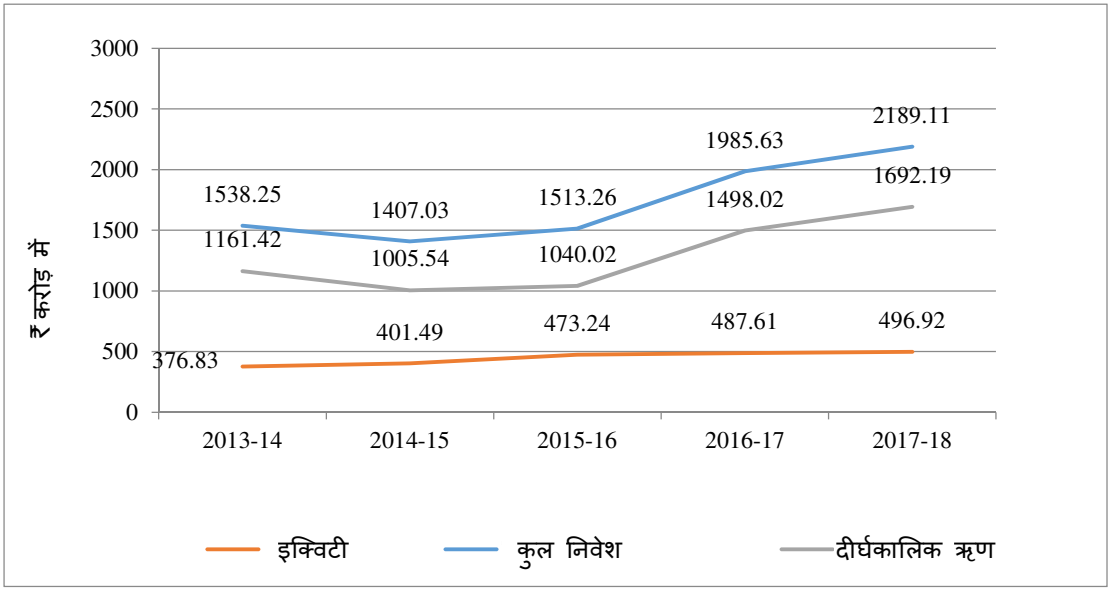

चूंकि हानी वाले पीएसयू का निरंतर विद्यमान रहना, राजकोष पर भारी दबाव का कारण बनता है, अत: यह सिफ़ारिश की जाती है कि राज्य सरकार सभी हानी वाले पीएसयू की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे।

3.1.12 मुख्य मापदंड

एक कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश

[21] जेएंडके बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें राज्य सरकार ने कोई निवेश नहीं किया है

पर प्रतिफल[22] एक निश्चित वर्ष में किए गए लाभ या हानि को इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में निवेश किए गए धन से संबंधित है और कुल निवेश के लिए लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना पूंजी द्वारा नियोजित ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल शेयरधारक की निधि[23] द्वारा कर दिए जाने के पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की गई गणना द्वारा निष्पादन का परिमाण है।

पीएसयू के निष्पादन का आंकलन करने हेतु उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार प्रयुक्त मूल वित्तीय अनुपातों को नीचे तालिका 3.9 (ए) और (बी) में दिया गया हैः

(ए) विद्युत क्षेत्र के पीएसयू

तालिका-3.9 (ए): विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के मूल मापदण्ड

(प्रतिशत में)

मापदंड	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	6.72	6.72	10.57	10.57	5.85
निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)	4.84	4.84	7.54	7.54	2.78
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	4.59	4.59	8.34	8.34	2.87

आरओसीई 5.85 प्रतिशत और 10.57 प्रतिशत के बीच, आरओआई 2.78 प्रतिशत तथा 7.54 प्रतिशत के बीच और आरओई 2.87 प्रतिशत तथा 8.34 प्रतिशत के बीच रही। यह मापदण्ड जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई (जैसा कि **तालिका-3.3** में दर्शाया गया है) योजना निधि पर आधारित हैं।

[22] निवेश पर प्रतिफल = आय से पहले ब्याज और कर (ईबीआईटी)/ नियोजित पूंजी, नियोजित पूंजी = शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लिए पीएसयू के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है

[23] शेयरधारक निधि = प्रदत पूंजी + मुक्त भंडार - स्थगित राजस्व व्यय - संचित हानियाँ

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू

तालिका-3.9 (बी): विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के मूल मापदंड

(प्रतिशत में)

विवरण	मापदण्ड	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू का कुल (26)	आरओसीई	113.62	38.81	31.24	-91.40	21.69
	आरओआई[24]	218.48	77.76	47.44	-316.07	5.61
	आरओई[25]	-	-	-	-	-
लाभ वाले पीएसयू	आरओसीई*	97.94	41.66	33.33	9.05	25.32
	आरओआई^	526.98	251.06	183.41	7.52	140.20
	आरओई	2162.75	870.05	328.15	13.95	83.67
हानि वाले पीएसयू	आरओसीई*	-53.89	-23.90	-28.51	-97.31	-35.01
	आरओआई^	-58.93	-55.86	-63.10	-563.34	-55.45
	आरओई	-	-	-	-	-

** केवल सकारात्मक पूंजी नियोजन वाली कंपनियों पर विचार किया गया।*

^ पाँच[26] कंपनियों को छोड़कर जिन्होंने लाभ और हानि लेखाओं को तैयार नहीं किया।

लाभ में मुख्य अंशदाता जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड रहा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) के दौरान आरओई/ आरओआई तथा आरओसीई उच्च स्तर पर थे जो मुख्य तौर पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, जो कि सरकारी व्यवसाय के अनुसार एकाधिकारिक/ सुरक्षित वातावरण के अंतर्गत कार्यशील है, द्वारा मुख्यतः अर्जित कर के उपरांत उच्च लाभ के कारण था।

तालिका 3.9 (बी) में आरओसीई की गणना निवेश के अंकित मूल्य पर की गई है। निवेश के वसूले गए मूल्य पर आरओसीई की गणना निम्नानुसार हैः

तालिका-3.10: शेयर प्रीमियम पर विचार करते हुए विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के लिए आरओसीई

(प्रतिशत में)

आरओसीई	वर्ष				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल	107.74	37.51	30.18	-75.55	16.80
लाभ वाले पीएसयू	93.69	40.24	32.21	9.05	19.65
हानि वाले पीएसयू	-53.89	-23.90	-28.51	-79.49	-35.01

[24] आरओआई की गणना में राज्य सरकार की निवेशित इक्विटी के अतिरिक्त, दूसरे निवेश को भी लिया है

[25] विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के साथ-साथ हानी वाले गैर विद्युत क्षेत्र के पीएसयू की आरओई को नहीं निकाला जा सका क्योंकि पूरे वर्षों के दौरान शेयरधारक की निधि नकारात्मक रही थी

[26] जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज़ एम्प्लोयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटिड, जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सपलाइज कॉरपोरेशन लिमिटिड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटिड और जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटिड

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के शेयर प्रीमियम लेखा पर विचार करने के पश्चात् वर्ष 2013-14 और 2017-18 के दौरान आरओसीई (-)75.55 प्रतिशत से 107.74 प्रतिशत के बीच रही। इस अवधि के दौरान, सकारात्मक पूंजी नियोजन वाली (***परिशिष्ट-3.1.6 में दिए गए विवरणानुसार)*** केवल नौ कंपनियों को अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कर देने से पूर्व लाभ हुआ था। इनमें से, केवल जम्मू एंड कश्मीर एससी,एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को सिर्फ वर्ष 2013-14 में ही लाभ हुआ था जबकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 में हानि हुई।

वर्ष 2013-18 के दौरान, आरओआई (-)316.07 प्रतिशत और 218.53 प्रतिशत के बीच रही। वर्ष 2016-17 के दौरान, रिटर्न की नकारात्मक दर मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा की गई ₹1,632.29 करोड की हानि के कारण थी। अन्य वर्षों में, आरओआई मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभों के कारण उच्चतर थी। विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू की आरओई को नहीं निकाला जा सका क्योंकि समग्र शेयरधारक निधि पूरे वर्षों के दौरान नकारात्मक रही थी।

3.1.13 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की उपयुक्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, ऐतिहासिक लागत के आधार पर, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निवेश की गई निधि पर प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त, निवेश पर प्रतिफल की गणना पैसे के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर विचार करने के बाद भी की गई है। राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना वहाँ की गई थी जहां इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया था।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की गणना निम्नलिखित धारणाओं पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निधि निवेशन माना गया है। हालांकि, पीएसयू द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना ब्याज मुक्त ऋणों की कम शेष राशि पर अवधि के दौरान की गई थी। अनुदान/ सब्सिडी के रूप में उपलब्ध निधि को निवेश के रूप में संगणित नहीं किया गया है क्योंकि वे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए, सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए छूट की दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष में निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा वहन की गई लागत को प्रस्तुत करते हैं।

(ए) विद्युत क्षेत्र के उपक्रम

विद्युत क्षेत्र के पीएसयू में, राज्य सरकार ने ₹5.20 करोड़ (विवरण ***परिशिष्ट-3.1.7(ए)*** में) की इक्विटी लगाई थी। इसके अतिरिक्त, पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार ने जेकेएसपीडीसी को ₹5,753.83 करोड़ योजना निधियों के रूप में दिया। ये योजना निधियाँ कंपनी की स्थापना (1994-95) से विभिन्न वर्षों के दौरान दी गई, इसलिए विद्युत क्षेत्र के पीएसयू का निवल वर्तमान मूल्य नहीं निकाला जा सका।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू

26 राज्य पीएसयू[27] (विद्युत क्षेत्र के अलावा) जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया के संबंध में पीएसयू की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए निवेश के प्रति कुल आय का एक विश्लेषण किया गया था। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान, इन 26 पीएसयू में निवेश (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) पर सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ।

26 पीएसयू[28] की पीएसयू-वार स्थिति जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश किया था, को ***परिशिष्ट-3.1.7 (बी)*** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए, सभी पीएसयू से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के एनपीवी की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:

---

27 जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने कोई निवेश नहीं किया था

28 वर्ष 1999-2000 के दौरान, केवल 18 पीएसयू में निवेश किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.7 (बी)*** में दर्शाया गया है

तालिका-3.11: वर्ष 1999-2000 से 2017-18 की अवधि के लिए, राज्य सरकार द्वारा निवेश और सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी निवेशित की गई	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त ऋण दिए गए	वर्ष के दौरान कर मुक्त ऋण परावर्तित	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार[29] पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष[30]के लिए निधियों की लागत वसूली से न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष[31] के लिए कुल आमंदनी
1	2	3	4	5	6= (3+4-5)	7	8=2+6	9={8*(1+ 7/ 100)}	10=7*8/ 100	11
1999-2000 तक	347.29[32]	7.14	शून्य	शून्य	7.14	11.96	354.43	396.82	42.39	48.40
2000-01	396.82	4.56	शून्य	शून्य	4.56	9.23	401.38	438.43	37.05	92.76
2001-02	438.43	1.82	शून्य	शून्य	1.82	11.20	440.25	489.56	49.31	182.06
2002-03	489.56	13.29	शून्य	शून्य	13.29	10.54	502.85	555.85	53.00	249.26
2003-04	555.85	2.80	शून्य	शून्य	2.80	10.95	558.65	619.82	61.17	304.91
2004-05	619.82	4.03	शून्य	शून्य	4.03	8.97	623.85	679.81	55.96	-4.75
2005-06	679.81	7.55	शून्य	शून्य	7.55	8.15	687.36	743.38	56.02	68.90
2006-07	743.38	2.50	शून्य	शून्य	2.50	11.66	745.88	832.85	86.97	150.32
2007-08	832.85	1.20	11.55	शून्य	12.75	14.07	845.60	964.58	118.98	201.28
2008-09	964.58	7.63	शून्य	शून्य	7.63	7.94	972.21	1049.40	77.19	232.25
2009-10	1049.40	17.09	शून्य	शून्य	17.09	9.45	1066.49	1167.27	100.78	354.68
2010-11	1167.27	11.06	शून्य	शून्य	11.06	9.03	1178.33	1284.73	106.40	499.02
2011-12	1284.73	6.09	शून्य	शून्य	6.09	8.28	1290.82	1397.70	106.88	705.53
2012-13	1397.70	7.00	शून्य	शून्य	7.00	8.19	1404.70	1519.74	115.04	1232.83
2013-14	1519.74	78.08	शून्य	शून्य	78.08	7.14	1597.82	1711.90	114.08	1048.22
2014-15	1711.90	1.21	3.62	शून्य	4.83	7.68	1716.73	1848.57	131.84	378.25
2015-16	1848.57	6.85	शून्य	शून्य	6.85	7.25	1855.42	1989.94	134.52	264.80
2016-17	1989.94	9.56	शून्य	शून्य	9.56	7.83	1999.50	2156.06	156.56	-1809.73
2017-18	2156.06	96.08	50.82	17.50	129.40	7.23	2285.46	2450.70	165.24	32.62
कुल		**285.54**	**65.99**	**17.50**	**334.03**					

(स्रोत: मार्च 2018 तक संबंधित पीएसयू द्वारा नवीनतम जानकारी के आधार पर संकलित)

29 सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (जम्मू और कश्मीर सरकार) पर भारत के सीएजी की रिपोर्ट से ली गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियां + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

30 वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में कुल निवेश

31 वर्ष के लिए कुल आय उन 25 पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/ हानि) को दर्शाती है, जहां राज्य सरकार द्वारा निधि का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान, किसी भी पीएसयू के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ/ हानि) संबंधित पीएसयू के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार ली गई है

32 जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 31 मार्च 2018 के अंत तक किये गये निवेश (₹632.83 करोड़) में से वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश (₹285.54 करोड़) का घटाकर। वर्ष 1999-2000 तक के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹347.29 करोड़ लिया था

इन पीएसयू में राज्य सरकार द्वारा निवेश का शेष, वर्ष 1999-2000 की शुरुआत में ₹347.29 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2017-18 के अंत में ₹681.32 करोड़[33] हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2017-2018 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹285.54 करोड़) और ब्याज मुक्त ऋण (₹65.99 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए पीवी की राशि ₹2,450.70 करोड़ हो गई।

3.1.14 ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य के अनुसार निवेश की तुलना

विद्युत क्षेत्र के अलावा

सरकार ने वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 (2016-17 को छोड़कर) के दौरान चार वर्षों में 26 पीएसयू में किए गए निवेश पर सकरात्मक प्रतिफल प्राप्त किया। इन चार वर्षों के लिए, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य पर निधि पर प्रतिफल की तुलना हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका-3.12: निवेश पर प्रतिफल की तुलना

(***₹ करोड़ में***)

वर्ष*	कुल आय	जीओजेएंडके के द्वारा निधियों का निवेश	जीओजेएंडके के अलावा अन्य द्वारा निधियों का निवेश	कुल निवेश	निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में निवेश का पीवी[34]	निवेश की वर्तमान लागत को ध्यान में रखकर निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	1,048.22	405.88	73.90	479.78	218.48	1791.08	58.52
2014-15	378.25	413.04	73.41	486.45	77.76	1933.84	19.56
2015-16	264.80	484.79	73.41	558.20	47.44	2081.39	12.72
2017-18	32.62	508.47	73.41	581.88	5.61	2556.44	1.28

******जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड को वर्ष 2016-17 के दौरान हानी होने के कारण उसकी कुल आय नकारात्मक थी*

वर्ष 2013-14 में ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर अर्जित प्रतिफल, 218.48 प्रतिशत था, और 2017-18 के दौरान, यह 5.61 प्रतिशत तक कम हो गया, जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान निधि पर अर्जित निवेशों के वर्तमान मूल्य को देखते हुए अर्जित लाभ 58.52 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 के दौरान, 1.28 प्रतिशत

---

33 ₹347.29 करोड़ + (₹285.54 करोड़ + ₹65.99 करोड़) - ₹17.50 करोड़ (इक्विटी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण)

34 ये आंकडे राज्य सरकार तथा अन्य निवेश के वर्तमान मूल्य के जोड पर आधारित हैं। प्राइवेट इक्विटी के वर्तमान मूल्य की वर्ष 2013-14 से गणना की गई है

तक रह गया। वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक रहा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटिड को ₹1,632.29 करोड़ की हानी हुई थी।

3.1.15 निवल मूल्य का ह्रास

(ए) विद्युत क्षेत्र

निवल मूल्य का अर्थ है कि भुगतान की गई पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि का कुल योग और अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि को घटाना। मुख्य रूप से, यह मालिकों को सत्व के मूल्य आकलन का एक पैमाना है। एक नकारात्मक शुद्ध मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। ₹पांच करोड़ के पूंजी निवेश के प्रति, जेकेएसपीडीसी[35] का समग्र संचित घाटा ₹178.81 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹173.81 करोड़ का नकारातमक निवल मूल्य ह्रास हुआ था जिसका विवरण ***परिशिष्ट-3.1.4*** में विस्तृत रूप से किया गया है।

तालिका-3.13: वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत पूंजी	नि:शुल्क भंडार और अधिशेष	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	5.00	1,134.66	-922.34	शून्य	217.32
2014-15	5.00	1,134.66	-922.34	शून्य	217.32
2015-16	5.00	शून्य	-519.06	शून्य	-514.06
2016-17	5.00	शून्य	-519.06	शून्य	-514.06
2017-18	5.00	शून्य	-178.81	शून्य	-173.81

राज्य सरकार ने वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान जेकेएसपीडीसी में इक्विटी का निवेश नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 में ₹1,134.66 करोड़ 'अन्य रिजर्व' से एक अलग शीर्ष 'रिवेलुवेशन' रिजर्व में हस्तांतरण किए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के बाद से कोई भी फ्री रिजर्व नहीं रहा।

[35] सीवीपीपीपी को छोड़कर, जिसमें जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया था और अन्य चार निष्क्रिय थे, हालांकि इन कंपनियों में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा ₹0.20 करोड़ का निवेश किया गया था

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

20 राज्य पीएसयू[36] (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के अपने अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार पूंजी निवेश, संचित घाटे और नि:शुल्क भंडार के क्रमश: ₹525.68 करोड़, ₹2,150.57 करोड़ और ₹100.03 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,524.86 करोड़ का नकारात्मक निवल मूल्य रहा था जिसका विवरण ***परिशिष्ट-3.1.8*** में विस्तृत रूप से किया गया है। निवेश और संचित घाटे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पूंजी निवेश के रूप में इन 20 पीएसयू में से, दस में निवल मूल्य का क्षय पूरी तरह से हो गया था क्योंकि इन पीएसयू का पूंजीगत निवेश और संचित घाटा क्रमश: ₹341.53 करोड़ और ₹2,242.53 करोड़ हुआ था। इन दस पीएसयू में से, अधिकतम निवल मूल्य ह्रास, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (₹969.75 करोड़), जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (₹513.13 करोड़), जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹112.18 करोड़) और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹81.52 करोड़) का रहा था। इन दस पीएसयू में जहां निवल मूल्य का पूरी तरह से ह्रास हुआ था, फिर भी वर्ष 2017-18 के दौरान दो[37] पीएसयू ने लाभ अर्जित किया, हालांकि काफी अधिक संचित हानि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित तालिका वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 20 पीएसयू जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष निवेश किया है, उनकी कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित लाभ/ हानि, और कुल निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका-3.14: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 20 पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत पूंजी	मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल मूल्य
2013-14	458.16	3.90	-1,645.39	-1,183.33
2014-15	483.30	4.11	-1,851.08	-1,363.67
2015-16	502.00	11.84	-1,885.60	-1,371.76
2016-17	516.37	25.38	-2,049.16	-1,507.41
2017-18	525.68	100.03	-2,150.57	-1,524.86

[36] पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एंड कश्मीर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड और दो नामित कार्यरत पीएसयू अर्थात (1) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने स्थापना के बाद से कभी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए

[37] जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

जैसा कि देखा जा सकता है, अवधि के दौरान इन पीएसयू का कुल निवल मूल्य नकारात्मक रहा। यह वर्ष 2013-14 में ₹1,183.33 करोड़ से घटकर, वर्ष 2017-18 में ₹1,524.86 करोड़ हो गया। 20 पीएसयू में से, 9 पीएसयू[38] ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया और वर्ष 2013-14 के दौरान 10 पीएसयू का निवल मूल्य नकारात्मक रहा था, जबकि एक पीएसयू[39] ने अपने लाभ और हानि के लेखे तैयार नहीं किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का निवल मूल्य नकारात्मक था और उसके पश्चात वर्ष 2014-18 के दौरान सकारात्मक रहा था, जबकि जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का निवल मूल्य वर्ष 2013-16 के दौरान सकारात्मक था और उसके बाद वर्ष 2016-18 के दौरान नकारात्मक बना रहा। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, दस पीएसयू का निवल मूल्य घट गया जबकि आठ पीएसयू ने निवल मूल्य में वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2018 तक, नौ पीएसयू का निवल मूल्य सकारात्मक रहा था जबकि दस पीएसयू का निवल मूल्य नकारात्मक था। एक पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में है, जिसने वर्ष 2013-18 के दौरान, वर्ष 2010-11 के एक लेखे को अंतिम रूप दिया था, लेकिन लाभ और हानि लेखे को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, इसकी निवल संपत्ति को उजागर नहीं किया जा सका।

3.1.16 लाभांश का भुगतान

वर्ष 2017-18 के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, एक विद्युत क्षेत्र पीएसयू अर्थात जेकेएसपीडीसी और विद्युत क्षेत्र के अलावा नौ कार्यरत पीएसयू ने क्रमशः ₹160.23 करोड़ और ₹228.92 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। हालांकि, किसी भी पीएसयू ने लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू के लिए लाभांश नीति पर विचार करें।

3.1.17 कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण

कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण को चुका देने की कंपनियों की क्षमता का आकलन करने के लिए, वर्ष 2013-18 के दौरान लीवरेज

---

38 (1) जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (4) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वीमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (5) जम्मू एंड कश्मीर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (6) जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (7) जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड (8) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (9) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड

39 जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

वाली कंपनियों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन, ब्याज कवरेज अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

3.1.18. ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उक्त अवधि के ब्याज व्यय द्वारा कंपनी की आय से पहले ब्याज और कर (ईबीआईटी) को विभाजित करके गणना की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतनी ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से कम का ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी।

(ए) विद्युत क्षेत्र

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार जेकेएसपीडीसी[40] के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका-3.15: ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	ब्याज कवरेज अनुपात
2013-14	262.75	460.45	1.75
2014-15	262.75	460.45	1.75
2015-16	227.34	668.95	2.94
2016-17	227.34	668.95	2.94
2017-18	155.78	433.41	2.78

यह देखा जा सकता है कि जेकेएसपीडीसी का वर्ष 2013-14 से 2017-18 की पूर्ण अवधि के दौरान, एक से अधिक की ब्याज कवरेज अनुपात थे, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित कर रही है।

[40] शेष पांच विद्युत क्षेत्र की कंपनियों ने किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया था

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान हाल ही में अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के **अलावा** अन्य 16 पीएसयू[41] के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका-3.16: राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ईबीआईटी	सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले पीएसयू की संख्या	पीएसयू की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात	
				एक से अधिक	एक से कम
2013-14	186.06	1803.72	16	5	11
2014-15	290.04	965.16	16	5	11
2015-16	248.14	763.93	16	4	12
2016-17	206.27	-1464.76	16	3	13
2017-18	257.83	439.21	16	5	11

वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों की देयता वाले 16 राज्य पीएसयू में से, पांच पीएसयू में एक से अधिक का ब्याज कवरेज अनुपात था, जबकि शेष 11 पीएसयू में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि अवधि के दौरान ये 11 पीएसयू ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर सके।

3.1.19 ऋण-कारोबार अनुपात

(ए) विद्युत क्षेत्र

पिछले चार वर्षों के दौरान, जेकेएसपीडीसी के टर्नओवर में ऋण और टर्नओवर की नकारात्मक संयुक्त वार्षिक वृद्धि क्रमशः 9.98 प्रतिशत और 5.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ऋण-कारोबार अनुपात वर्ष 2013-14 में 2.28 से सुधरकर वर्ष 2017-18 में 1.84 हो गया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

[41] पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर अर्थात (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो कार्यशील सार्वजनिक उपक्रम अर्थात (1) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखाओं प्रस्तुत नहीं किए और चार पीएसयू अर्थात (1) जम्मू एंड कश्मीर बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड और (4) जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिन्होनें कोई ऋण नहीं लिया है

तालिका-3.17: जेकेएसपीडीसी से संबन्धित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,781.97	2,781.97	1,493.55	1,493.55	1,826.49
टर्नओवर	1,220.62	1,220.62	1,119.90	1,119.90	992.46
ऋण- टर्नओवर अनुपात	2.28:1	2.28:1	1.33:1	1.33:1	1.84:1

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

पिछले पांच वर्षों के दौरान, 19 पीएसयू[42] के कारोबार में 1.83 प्रतिशत की सयुंक्त वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और ऋण की संयुक्त वार्षिक वृद्धि 3.43 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण-कारोबार का अनुपात वर्ष 2013-14 में, 0.45 से घटकर वर्ष 2017-18 में, 0.48 हो गया। जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है, इस अवधि के दौरान ऋण-कारोबार अनुपात 0.43 और 0.53 के बीच रहा था:

तालिका-3.18: पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ऋण-कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	3,175.63	3,875.23	3,834.30	3,097.52	3,633.37
कारोबार	7,048.17	7,449.34	7,296.59	7,238.03	7,579.22
ऋण-कारोबार अनुपात	0.45:1	0.52:1	0.53:1	0.43:1	0.48:1

(स्रोत: अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित)

3.1.20 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत सहायता

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) का शुभारंभ (20 नवंबर 2015 में) किया। जम्मू और कश्मीर राज्य में, यद्यपि दो[43] विद्युत क्षेत्र डिस्कॉम, एक[44] ट्रांसमिशन

---

42 पांच निष्क्रिय पीएसयू को छोड़कर: (1) तवी स्कूटर्स लिमिटेड (2) हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड (3) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक) (4) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (5) जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम अर्थात (1) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फारेस्ट कॉरपोरेशन, जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए और एक कार्यरत पीएसयू अर्थात जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसने लाभ और हानि के लेखे तैयार नहीं किए थे

43 (1) जम्मू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और (2) कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

44 जम्मू एंड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

कंपनी और एक[45] ट्रेडिंग कंपनी को (मार्च/ जून 2013) निगमित किया गया है, हालांकि,मार्च, 2018 तक, इन डिस्कॉम द्वारा अपनी परिचालन गतिविधियों का शुरू किया जाना बाकी है, जिसके अभाव में, विद्युत उत्पादन विभाग द्वारा अभी भी विद्युत ट्रांसमिशन/ वितरण गतिविधियों को पूरा किया जाता है।

3.1.21 राज्य के निष्क्रिय पीएसयू को बंद करना

विद्युत क्षेत्र के छह उपक्रमों में से, चार उपक्रम निष्क्रिय थे और 31 मार्च 2018 तक शेयर पूंजी के रूप में कुल ₹0.20 करोड़ का निवेश कर रहे थे।

इसी प्रकार, 27 राज्य पीएसयू (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में से, पांच निष्क्रिय थे और 31 मार्च 2018 तक पूंजी (₹55.57 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹0.83 करोड़) के प्रति कुल ₹56.40 करोड़[46] का निवेश कर रहे थे। 31 मार्च 2018 तक समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निष्क्रिय पीएसयू की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका-3.19: राज्य के निष्क्रिय पीएसयू

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विद्युत क्षेत्र में निष्क्रिय पीएसयू की संख्या	शून्य	शून्य	2	4	4
निष्क्रिय पीएसयू की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अलावा)	3	3	4	5	5

(स्रोत: जम्मू और कश्मीर सरकार के संबंधित वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू), में शामिल जानकारी से संकलित)

विद्युत क्षेत्र के अलावा पांच निष्क्रिय पीएसयू में से, तीन पीएसयू[47] पिछले 17 से 26 वर्षों से निष्क्रिय थे और परिसमापन के अंतर्गत थे। सरकार इन पीएसयू को बंद करने के लिए उचित निर्णय ले सकती है।

3.1.22 पीएसयू के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

(ए) विद्युत क्षेत्र

1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान, दो विद्युत क्षेत्र के पीएसयू ने अपने तीन लेखापरीक्षित लेखाओं को महालेखाकार को अग्रेषित किया। दोनों लेखाओं

---

45 जम्मू एंड कश्मीर पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

46 तवी स्कूटर्स लिमिटेड: ₹1.63 करोड़, हिमालयन वूल कांबर्स लिमिटेड: ₹1.37 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज ऑर्गेनाईजेशन लिमिटेड (हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी): ₹0.40 करोड़, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹5 करोड़ और जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹48 करोड़

47 तवी स्कूटर्स लिमिटेड, हिमालयन वूल कॉम्बर्स लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट रॉ मटेरियल सप्लाइज आर्गेनाईजेशन लिमिटेड

को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सीएजी द्वारा किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2015-18 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों का औसत निधि मूल्य का विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका-3.20: विद्युत क्षेत्र के पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	2	517.29	-	-	1	4.19
2.	लाभ में वृद्धि	1	7.50	-	-	1	63.22
3.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में गिरावट	-	-	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	1	9.50	-	-	2	112.83
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	1	1129.01	-	-	-	-

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2015-16 और 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए थे। पीएसयू द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन स्तरहीन था क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालन के चार उदाहरण इंगित किये।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान, 12 पीएसयू ने 37 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों की औसत निधि मूल्य का विवरण नीचे दिया है:

तालिका-3.21: राज्य पीएसयू पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव (विद्युत क्षेत्र के अलावा)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	2	0.53	2	2.33	2	0.16
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	0.05
3.	हानि में वृद्धि	4	12.10	1	0.06	3	1.55

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
4.	हानि में गिरावट	2	0.71	1	0.03	2	1.17
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	3	7.33	1	2.56	4	21.82
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	4	120.06	4	30.98	5	97.39

(स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दस लेखाओं पर क्वालिफाइड प्रमाण-पत्र जारी किए थे। पीएसयू द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन स्तरहीन रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालन के नौ उदाहरण इंगित किये।

राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात (i) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (जेएंडकेएसआरटीसी), (ii) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (जेएंडकेएसएफ़सी), (iii) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन हैं। जेएंडकेएसआरटीसी के संबंध में सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से, एक निगम (जेएंडकेएसएफ़सी) ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने वार्षिक लेखे अग्रेषित किये, जबकि 01 अक्तूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान, जेएंडकेएसआरटीसी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कारपोरेशन किसी भी लेखे को अग्रेषित करने में असफल रहे। वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों ने जेएंडकेएसएफ़सी के वार्षिक लेखाओं पर योग्यता प्रमाण-पत्र दिए।

सांविधिक निगमों के संबंध में सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की औसत निधि का विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका-3.22: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में गिरावट	-	-	-	-	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	1	28.04	1	15.14
4.	हानि में गिरावट	-	-	1	0.07	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का प्रकट न होना	-	-	1	8.58	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियां	-	-	1	12.17	1	5

(स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/ सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

यह सिफ़ारिश की जाती है कि संबन्धित पीएसयू, सांविधिक मानदंडों की सख्त अनुपालना करते हुए लाभ/ हानि के अधिक/ कम विवरण से बचने के लिए त्रुटिमुक्त लेखाओं को सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा, वित्त और प्रशासनिक विभाग निरीक्षण करें कि इन पीएसयू द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

3.1.23 निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

(ए) विद्युत क्षेत्र

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए, छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित दो लेखापरीक्षा पैराग्राफ विद्युत विकास विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार को जारी किये गये थे। राज्य सरकार से एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर उत्तर (फरवरी 2019 में) प्राप्त हुआ है और जिसे प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा पैराग्राफ का कुल वित्तीय प्रभाव ₹46.33 करोड़ है।

(बी) विद्युत क्षेत्र के अलावा

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए (विद्युत क्षेत्र के अलावा) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेएमएससीएल), जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित पांच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ और जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कार्यप्रणाली से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। राज्य सरकार से तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर उत्तर प्राप्त हुए हैं और पैराग्राफ को अंतिम रूप देते हुए इनको ध्यान में रखा गया है। इन लेखापरीक्षा पैराग्राफ का कुल वित्तीय प्रभाव ₹3,277.48 करोड़[48] है।

3.1.24 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शाती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि वे कार्यकारिणी से उचित और समय पर उत्तर प्राप्त करें। वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने (जून 1997

[48] जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड: ₹3,142.09 करोड़, जेकेएमएससीएल: ₹126.54 करोड़ और ड्राफ्ट पैराग्राफ: ₹8.85 करोड़

में) सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि विधानमंडल में प्रस्तुत करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप में पीएसयू (सीओपीयू) की समिति से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, वे अपनी प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ/ समीक्षाओं के जवाब/ व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करें। सितंबर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

तालिका-3.23: पीएसयू से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितंबर 2018 तक) जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ पीएसयू)	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) और पैराग्राफ				पीए/ पैराग्राफ की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गई			
		पीए		पैराग्राफ		पीए		पैराग्राफ	
		विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा	विद्युत	विद्युत के अलावा
2000-01	6 अप्रैल 2002	-	1	1	2	-	-	-	-
2001-02	21 जून 2003	-	1	-	4	-	-	-	-
2002-03	23 अगस्त 2004	-	1	1	2	-	-	-	-
2003-04	23 मार्च 2005	-	-	1	2	-	-	-	-
2004-05	27 मार्च 2006	-	1	-	4	-	-	-	1
2005-06	8 फरवरी 2007/ 31 अगस्त 2009	-	3	1	1	-	1	-	-
2006-07	30 जनवरी 2008	-	1	-	5	-	-	-	-
2007-08	5 मार्च 2009	-	1	-	3	-	-	-	-
2008-09	30 मार्च 2010	-	1	-	3	-	-	-	2
2009-10	31 मार्च 2011	1	-	-	3	-	-	-	-
2010-11	4 अप्रैल 2012	-	1	-	5	-	-	-	-
2011-12	5 अप्रैल 2013	-	2	-	-	-	1	-	-
2012-13	4 मार्च 2014	-	-	1	2	-	-	-	1
2013-14	27 मार्च 2015	-	1	-	6	-	-	-	-
2014-15	27 जून 2016	-	1	4	3	-	-	-	-
2015-16	4 जुलाई 2017	1	-	-	6	1	-	-	3
कुल		**2**	**15**	**9**	**51**	**1**	**2**	**-**	**7**

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र के 11 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सिर्फ एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2018 तक) प्रतीक्षित थीं।

इसी प्रकार, विद्युत क्षेत्र के अलावा 66 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, दो विभागों के संबंध में, जिन पर टिप्पणियाँ की जा चुकी थी, नौ पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (सितंबर 2018 तक) प्रतीक्षित थीं।

3.1.25 सीओपीयू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

30 सितंबर 2018, तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफ़ों की चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका-3.24: 30 सितंबर 2018 तक चर्चा किए गए और लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा/ पैराग्राफ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षा/ पैराग्राफ की संख्या							
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत				पैराग्राफों पर चर्चा की गई			
	पीए		पैराग्राफ		पीए		पैराग्राफ	
	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा	विद्युत क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र के अलावा
2000-01	-	1	1	2	-	1	1	2
2001-02	-	1	-	4	-	1	-	4
2002-03	-	1	1	2	-	1	1	2
2003-04	-	-	1	2	-	-	1	2
2004-05	-	1	-	4	-	1	-	3
2005-06	-	3	1	1	-	2	1	1
2006-07	-	1	-	5	-	1	-	5
2007-08	-	1	-	3	-	1	-	3
2008-09	-	1	-	3	-	1	-	1
2009-10	1	-	-	3	1	-	-	3
2010-11	-	1	-	5	-	1	-	5
2011-12	-	2	-	-	-	1	-	-
2012-13	-	-	1	2	-	-	1	1
2013-14	-	1	-	6	-	1	-	6
2014-15	-	1	4	3	-	1	4	3
2015-16	1	-	-	6	-	-	-	3
कुल	**2**	**15**	**9**	**51**	**1**	**13**[49]	**9**	**44**[49]

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 के लिए, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के 11 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए: 2, पैराग्राफ: 9) में से, 30 सितंबर 2018 तक केवल एक निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थात **जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड** पर सीओपीयू द्वारा चर्चा के लिए नहीं ली गई है।

इसी प्रकार, वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्शाये गये विद्युत क्षेत्र के अलावा पीएसयू के 66 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पीए:15; पैराग्राफ: 51) में से, 30 सितंबर 2018 तक सीओपीयू द्वारा नौ पैराग्राफ (पीए: 2, पैराग्राफ: 7) चर्चा हेतु नहीं लिये गये हैं।

[49] आंशिक रूप से चर्चा में किये गये पैराग्राफों सहित

3.1.26 सीओपीयू की रिपोर्टों का अनुपालन

अप्रैल 2005 से मार्च 2018 के बीच राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की गई सीओपीयू की दो रिपोर्टों से संबंधित विद्युत क्षेत्र पीएसयू के पांच पैराग्राफ और विद्युत क्षेत्र के अलावा सीओपीयू की आठ रिपोर्टों से संबंधित 45 पैराग्राफों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति (सितम्बर 2018 तक) को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-3.25: सीओपीयू प्रतिवेदनों की अनुपालना

सीओपीयू प्रतिवेदनों का वर्ष	सीओपीयू प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सीओपीयू प्रतिवेदनों में सिफारिशों की संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एटीएन प्राप्त नहीं हुये
विद्युत क्षेत्र के पैरा			
2015-16 (47वां प्रतिवेदन)	01	02	02
2017-18 (49वां प्रतिवेदन)	01	04	03
कुल	**02**	**06**	**05**
गैर-विद्युत क्षेत्र के पैरा			
2004-05 (40वां प्रतिवेदन)	01	06	05
2009-10 (42वां प्रतिवेदन)	01	13	04
2010-11 (43वां प्रतिवेदन)	01	02	01
2011-12 (44वां प्रतिवेदन)	01	05	01
2013-14 (46वां प्रतिवेदन)	01	14	01
2015-16 (47वां प्रतिवेदन)	01	15	06
2016-17 (48वां प्रतिवेदन)	01	06	03
2017-18 (49वां प्रतिवेदन)	01	25	24
कुल	**08**	**86**[50]	**45**

सीओपीयू की इन प्रतिवेदनों में 10 विभागों से संबंधित पैराग्राफ के संबंध में सिफारिशें थीं, जो वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि: (क) निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन/ मसौदा पैराग्राफ/ निष्पादन लेखापरीक्षा का जवाब देना और सीओपीयू की सिफारिशों पर अपनी कृत कार्रवाई टिप्पणी देना (ख) निर्धारित अवधि में हानि/ बकाया अग्रिम/ अधिक भुगतानों की वसूली और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की प्रणाली का पुन: निर्धारण करना।

[50] 57 पैराग्राफों/ निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है जो वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विशेष रूप से दर्शाए गए हैं